रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11072026-274401
CG-MH-E-11072026-274401

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438]	**नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948**
No. 438]	**NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 7 जुलाई, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/311.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में-

I. विनियम 3(1) में,

i. खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्-

"(च) "आश्रित" में शामिल हैं:

(i) "आश्रित बच्चे (संतान)", यानि कि किसी कर्मचारी के वे बच्चे, जो सेबी की ओर से चिकित्सा या एल.एफ.सी. (छुट्टी किराया रियायत) की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हकदार हों;

(ii) "काफी हद तक आश्रित सदस्य", यानि कि वह व्यक्ति जिसे सेबी से मिलने वाले चिकित्सा या एल.एफ.सी. (छुट्टी किराया रियायत) की सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु कर्मचारी ने अपने परिवार के सदस्यों की सूची में शामिल किया हो।

स्पष्टीकरण: इस परिभाषा के सिलसिले में, जो व्यक्ति कर्मचारी पर आश्रित तो न हो किंतु जिसका नाम सेबी की ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी की सुविधा का लाभ उठाने के लिए जुड़वाया गया हो और जिसके लिए प्रीमियम कर्मचारी अलग से भर रहा हो, उसे 'काफी हद तक आश्रित सदस्य' नहीं माना जाएगा।"

ii. खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्-

"(ज) "परिवार के सदस्यों" का अर्थ है -

(i) कर्मचारी की पत्नी या कर्मचारी का पति;

(ii) कर्मचारी के आश्रित बच्चे, जिसमें उसके सौतेले बच्चे और गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल हैं;

(iii) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके अभिभावक की भूमिका कर्मचारी कानूनी तौर पर निभा रहा/रही हो और जो उस कर्मचारी पर काफी हद तक आश्रित हो; और

(iv) ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका कर्मचारी से अथवा उसके पति या उसकी पत्नी से खून का रिश्ता हो या फिर कर्मचारी से हुई शादी की वजह से कोई रिश्ता हो, और जो उस कर्मचारी पर काफी हद तक आश्रित हो ।"

iii. खंड (ज) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"(जक) "वित्तीय क्षेत्र में निवेश" का अर्थ है - वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी असेट्स (फाइनेंशियल असेट्स) में किया गया निवेश या रखी गई जमाराशि (डिपॉज़िट)।"

iv. खंड (झ) के बाद, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्-

"(झक) "निषिद्ध निवेश" का अर्थ है - वह निवेश, जो कर्मचारी तब तक नहीं कर सकता जब तक वह बोर्ड की सेवाओं में रहे, और जिसका अर्थ होगा:-

(i) इक्विटी में निवेश;

(ii) ऐसे किसी इन्स्ट्रूमेंट (लिखत) में निवेश, जिसे इक्विटी में बदला जा सकता हो; और

(iii) इक्विटी या कमोडिटी के डेरिवेटिव्ज़ में निवेश या ट्रेडिंग।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि नीचे जो निवेश बताए गए हैं, वे 'निषिद्ध निवेश' की परिभाषा के दायरे में नहीं आएंगे, अर्थात्:-

(i) किसी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल (ऐसी एंटिटी जो अलग-अलग निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती है और फिर उसका निवेश करती है) के जरिए किया जाने वाला निवेश, यदि उस पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल की स्कीम का संचालन ऐसी कोई पेशेवर एंटिटी कर रही हो जो वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक (रेग्यूलेटर) के दायरे में आती हो; और

(ii) इनविट और रीट की यूनिटों में निवेश;

(झख) "ओ.ई.सी." का अर्थ है - सेबी का नैतिक-सिद्धाँत पालन कार्यालय।"

v. खंड (ञ) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"(ञक) "अनुमत निवेश" का अर्थ है - वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी असेट्स में वह निवेश, जो 'निषिद्ध निवेश' के दायरे में न आता हो।"

vi. खंड (ट) के बाद, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात् -

"(टक) "पेशे से जुड़े हित (प्रोफेशनल इंटरेस्ट)" का अर्थ है - ऐसा कोई हित, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी एंटिटी के यहाँ सलाहकार (एडवाइज़र) या परामर्शदाता (कन्सलटेंट) के तौर पर कार्य आदि करने [हालाँकि, यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी संस्था या कानूनी प्रावधानों के तहत बनी संस्था (स्टेच्यूटरी ऑर्गनाइजेशन) के यहाँ कार्य आदि किया हो, तो वह इसमें शामिल नहीं है] की वजह से हो।

(टख) "रिश्तेदारी की वजह से हित" का अर्थ है - ऐसा कोई हित, जो परिवार का सदस्य या रिश्तेदार होने के नाते हो।

(टग) "रिश्तेदार (नातेदार)" का अर्थ है - वह रिश्तेदार, जिसका जिक्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में दी हुई परिभाषा में किया गया है ।"

II. विनियम 54 में, मौजूदा विनियम अब विनियम 54 के उप-विनियम (1) के तौर पर पढ़ा जाएगा, और इस प्रकार बने उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"(2) यदि कर्मचारी आगे चलकर कहीं कार्य आदि करने के सिलसिले में कोई बातचीत करे या फिर कोई सहमति आदि दे, तो जिस महीने में वह बातचीत करे या सहमति आदि दे उस महीने के समाप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर ऐसी समस्त बातचीत या सहमति आदि की जानकारी कर्मचारी को देनी होगी ।"

III. विनियम 55 में, विनियम 55(5) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"(6) जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर या त्यागपत्र देकर या फिर किसी और वजह से बोर्ड की सेवा छोड़कर जा रहा हो, वह इस प्रकार सेवाओं से कार्यमुक्त हो जाने की तारीख से दो वर्षों की अवधि तक, किसी मामले में या किसी अर्ध-न्यायिक कार्यवाही (क्वॉसी-जूडिशियल) [जिसमें न्यायनिर्णयन कार्यवाही (अड्जूडिकेशन प्रोसिडिंग) भी शामिल है] में या निपटारे (सेटलमेंट) से जुड़ी कार्यवाही में या मंजूरी प्रदान किए जाने से जुड़े किसी मामले में, किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से बोर्ड के सामने या बोर्ड के खिलाफ हाज़िर नहीं होगा ।"

IV. विनियम 62 में,

i. उप-विनियम (1) में,

क. शब्दों तथा चिह्नों "कर्मचारी किसी उपहार की याचना या को स्वीकार नहीं करेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी निमत्ति कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति जिसके साथ कर्मचारी के या तो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: पदीय व्यवहार होने की संभावना है से या अधीनस्थ कर्मचारी से किसी उपहार को स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा ।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "कोई कर्मचारी न तो ऐसे किसी व्यक्ति से कोई उपहार मांगेगा और न ही उसे स्वीकार करेगा, और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य या दूसरे किसी व्यक्ति को अपनी ओर से कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति देगा, जिसके साथ कर्मचारी का कार्यालयीन कार्यों के सिलसिले में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर किसी अधीनस्थ कर्मचारी के जरिए, कोई सरोकार हो सकता हो ।" आ जाएंगे;

ख. शब्दों तथा चिह्नों "तुच्छ उपहार जैसे दीवाली तथा नव वर्ष के अवसर पर मिठाइयों के छोटे पैकट, डायरियां, कलैन्डर को, तथापि, छूट दी जा सकेगी ।" के स्थान पर शब्द तथा

चिह्न "हालाँकि, छोटे-मोटे उपहार के तौर पर स्मृति-चिह्न आदि, गुलदस्ते, मिठाइयों के छोटे पैकेट, डायरियाँ, कैलेंडर स्वीकार किए जा सकेंगे ।" आ जाएंगे;

ग. स्पष्टीकरण में दिया हुआ शब्द "निकट" हट जाएगा ।

ii. उप-विनियम (2) में,

क. शब्दों तथा चिह्नों "विवाहों, आब्दिकियों, अंत्येष्टियों या धार्मिक कृत्यों जैसे अवसरों पर जब उपहारों का करना विद्यमान धार्मिक या सामाजिक आचरण के अनुरूप है कर्मचारी, कर्मचारी के साथ या बोर्ड के साथ कोई पदीय व्यवहार न रखने वाले अपने व्यक्तिगत मित्रों से उपहारों को स्वीकार कर सकेगा" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "शादी, सालगिरह, अंतिम संस्कार या धार्मिक कार्यों जैसे अवसरों पर धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं के अनुरूप जब उपहार दिए जाएँ, तो ऐसे में कर्मचारी अपने उन मित्रों से उपहार ले सकेगा जिनके साथ कर्मचारी का या बोर्ड का कार्यालयीन कार्यों के सिलसिले में कोई सरोकार न हो" आ जाएंगे;

ख. शब्दों, अंक तथा चिह्नों "किन्तु यदि ऐसे उपहारों का मूल्य रु. 10,000/- से अधिक होता है वह सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा ।" के स्थान पर चिह्न, शब्द तथा अंक ", किंतु यदि किसी एक व्यक्ति से मिले ऐसे उपहारों की कीमत रु. 50,000/- से ज्यादा हो, तो कर्मचारी इसकी जानकारी सक्षम प्राधिकारी को देगा ।" आ जाएंगे;

V. विनियम 64 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्-

"निवेश पर पाबंदियाँ

64. (1) जब तक कर्मचारी बोर्ड में अपनी सेवाएँ देता रहे, तब तक वह कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य ऐसा कोई नया निवेश नहीं करेंगे जो 'निषिद्ध निवेश' की श्रेणी में आता हो ।

(2) जब तक कर्मचारी बोर्ड में अपनी सेवाएँ देता रहे, तब तक कर्मचारी द्वारा सेबी के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आने वाली किसी एंटिटी (जो पेशेवर के तौर पर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का संचालन कर रही हो) द्वारा लाए जाने वाले प्रोडक्ट्स में किए गए निवेश की गई रकम, पिछले वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन तक या उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख तक (इनमें से जो भी बाद में हो), उस रकम के 25% से ज्यादा नहीं होगी जो उसने अपने समस्त निवेश करने के सिलसिले में अदा की हो ।"

VI. विनियम 64 के बाद और विनियम 65 से पहले, निम्नलिखित नए विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्-

"जब तक कर्मचारी बोर्ड की सेवाओं में रहे, तब तक उसके परिवार के सदस्यों पर निवेश किए जाने के संबंध में लगी पाबंदी से छूट

64क. (1) विनियम 64 के उप-विनियम (1) के अनुसार जो पाबंदी है वह तब लागू नहीं होगी, जब कर्मचारी की पत्नी या उसके पति को 'कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन' की उस योजना (प्लान) के तहत कोई शेयर आदि (इक्विटी) मिल जाएँ, जो कर्मचारी की पत्नी या उसके पति के वेतन पैकेज का हिस्सा हों, और साथ ही इस तरह से मिले हुए शेयरों आदि को बेचने आदि के मामले में भी लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: इस प्रकार कर्मचारी की पत्नी या उसके पति को और/या उसके परिवार के आश्रित सदस्यों को शेयर आदि मिलने की वजह से अगर किसी प्रावधान का कोई उल्लंघन हो जाए, तो ऐसे उल्लंघन के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि कर्मचारी ने कोई गलत कार्य कर दिया है और इससे उसके करियर पर कोई आँच नहीं आएगी। हालाँकि, अगर किसी मामले में ऐसा लगा कि कुछ गलत किया गया है, तो ऐसे में दंड के तौर पर जुर्माना लगाया जा सकेगा।

(2) विनियम 64 के उप-विनियम (1) में जिस पाबंदी का जिक्र है, वह तब लागू नहीं होगी जब -

(i) कर्मचारी के परिवार के सदस्य डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाएँ लेते हों, जहाँ निवेश के फैसले फंड मैनेजर ही स्वतंत्र रूप से लेता हो; या

(ii) कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अपने निजी कारोबार (बिजनेस) के चलते या फिर अपने निवेश से जुड़े कार्यों (इन्वेस्टमेंट ऐक्टिविटी) के तहत अनलिस्टिड (असूचीगत) शेयर आदि मिल जाएँ या वे फिर उन्हें बेच दें।"

(3) इस विनियम के उप-विनियम 2(ii) में जिस अनलिस्टिड शेयर आदि की बात कही गई है उसकी लिस्टिंग हो जाने पर, कर्मचारी के परिवार के सदस्य या तो उन्हें अपने पास रखे रह सकते हैं या फिर उन्हें बेच सकते हैं या फिर उनके मामले में डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाएँ ले सकते हैं (जहाँ निवेश के फैसले फंड मैनेजर ही स्वतंत्र रूप से लेता हो)।

कार्यभार ग्रहण के समय अगर कर्मचारी ने ऐसा कोई निवेश पहले से किया हुआ हो जो 'निषिद्ध निवेश' की श्रेणी में आता हो, तो ऐसे में कर्मचारी के पास क्या विकल्प होंगे

64ख. (1) बोर्ड में कार्यभार ग्रहण के समय अगर कर्मचारी ने ऐसा कोई निवेश पहले से किया हुआ हो जो 'निषिद्ध निवेश' की श्रेणी में आता हो, तो ऐसे में वह नीचे बताए गए विकल्पों में से कोई विकल्प चुन सकता है, अर्थात्:-

(i) इस प्रकार पहले से किए हुए निवेश को बेच सकता है;

(ii) बोर्ड में अपना सेवाकाल पूरा होने तक इस प्रकार पहले से किए हुए निवेश को फ्रीज़ करवाकर रख सकता है;

(iii) जब तक वह बोर्ड में अपनी सेवाएँ देता रहे और उस दौरान अगर वह इस प्रकार पहले से किए हुए निवेश को बेचना चाहे, तो वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्यूलेशन्स, 2015] के विनियम 5 के अनुसार एक ट्रेडिंग प्लान तैयार करके ओ.ई.सी. के पास प्रस्तुत कर सकता है; या

(iv) जब तक वह बोर्ड में अपनी सेवाएँ देता रहे तब तक वह इस प्रकार पहले से किए हुए निवेश को ट्रेडिंग प्लान बनाए बिना भी बेच सकता है, लेकिन इसके लिए ओ.ई.सी. से पहले ही मंजूरी लेनी होगी।

(2) अगर कर्मचारी द्वारा किसी कमर्शियल वेंचर (जिसमें अनलिस्टिड कंपनियाँ भी शामिल हैं) के शेयरों आदि (इक्विटी) में निवेश किया गया हो या उसके ऐसे किसी इन्स्ट्रूमेंट (लिखत) में निवेश किया गया हो जिसे बाद में शेयरों आदि (इक्विटी) में बदला (कन्वर्ट किया) जा सकता हो, तो ऐसे में इस प्रकार किए गए निवेश के मामले में उसे उप-विनियम (1) में बताए हुए विकल्पों में से विकल्प (i) या विकल्प (ii) चुनना होगा।

(3) यदि कार्यभार ग्रहण के समय 'निषिद्ध निवेश' की श्रेणी में आने वाला कोई निवेश बेचा न गया हो, तो ऐसे में -

(i) कर्मचारी जब तक बोर्ड को अपनी सेवाएँ देता रहे, तब तक उन शेयरों आदि के संबंध में मिले मताधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा; और

(ii) कर्मचारी जब तक बोर्ड को अपनी सेवाएँ देता रहे, तब तक अगर उसे पहले से मिले हुए उन शेयरों आदि के संबंध में कंपनी से कोई शेयर आदि मिल रहे हों या फिर लाए गए राइट्स इश्यू में पैसा लगाने (उसे सब्सक्राइब करने) की वजह से कोई शेयर आदि मिल रहे हों, तो इस प्रकार जो भी शेयर आदि मिलें उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

(4) यदि कोई कर्मचारी ट्रेडिंग प्लान का विकल्प चुनता हो, तो उसे उस ट्रेडिंग प्लान के अनुसार ही अपना काम करना होगा, और अगर उससे हटकर कुछ भी करना हो तो इसकी मंजूरी पहले से लेनी होगी।

(5) इस विनियम में पहले से मंजूरी लेने की जो बात कही गई है, वह मंजूरी ओ.ई.सी. से लेनी होगी।

(6) यदि शेयरों आदि के संबंध में कोई ऑप्शन मिला हुआ हो, तो कर्मचारी उसका इस्तेमाल बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही कर सकता है, क्योंकि उसके बाद वह जब तक बोर्ड की सेवाओं में रहेगा तब तक ऐसा नहीं कर पाएगा।

(7) जो कर्मचारी इस संशोधन के लागू होने के समय पहले से ही बोर्ड की सेवाओं में हों, वे 'निषिद्ध निवेश' की श्रेणी में आने वाले निवेश के संबंध में मिले ऑप्शन्स (जिसका जिक्र ऊपर किया गया है) का इस्तेमाल बताई गई समय-सीमाओं के भीतर करेंगे।

(8) कर्मचारी जब बोर्ड की सेवाओं में कार्यभार ग्रहण करे, उस समय अगर उसके परिवार के सदस्यों के पास 'निषिद्ध निवेश' की श्रेणी में आने वाले निवेश पड़े हुए हों, तो वे उन्हें आगे भी रख सकेंगे; और साथ ही बोर्ड में उस कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान वे उन्हें बेच भी सकेंगे।"

VII. विनियम 66 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"हितों आदि की जानकारी देना

66. (1) कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में निम्नलिखित जानकारी देनी होगी (डिस्क्लोज़र करने होंगे), अर्थात्,-

(i) अपने परिवार के सदस्यों के ब्यौरे;

(ii) अपने रिश्तेदारों के ब्यौरे;

(iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेशे से जुड़े हितों (प्रोफेशनल इंटरेस्ट) के ब्यौरे;

(iv) उन अचल संपत्तियों आदि के ब्यौरे, जो उसके नाम पर हों, और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर हों और जो उन्होंने कर्मचारी से पैसे लेकर खरीदी हों या फिर जिनसे कर्मचारी का हित जुड़ा हुआ हो;

(v) वित्तीय क्षेत्र में किए गए उन निवेश (देनदारियों सहित) के ब्यौरे, जो उसने किए हों, और उसके परिवार के सदस्यों ने किए हों और जो उन्होंने कर्मचारी से पैसे लेकर किए हों या फिर जिनसे कर्मचारी का हित जुड़ा हुआ हो;

(vi) यदि कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों ने ऐसा कोई निवेशक किया हुआ हो जो 'निषिद्ध निवेश' की श्रेणी में आता हो, तो उसके ब्यौरे, किंतु इनमें वे निवेश शामिल नहीं होंगे जो उनके परिवार के सदस्यों ने कर्मचारियों से पैसे लेकर किए हों या फिर जिनसे कर्मचारियों का हित जुड़ा हुआ हो; और

(vii) उसके द्वारा अचल संपत्तियों को किराये पर देने के लिए किए गए कॉण्ट्रैक्ट के ब्यौरे।

(2) उप-विनियम (1) के अनुसार दी जाने वाली जानकारी कर्मचारी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करते समय और बोर्ड की सेवाएँ छोड़कर जाते समय ओ.ई.सी. को देगा।

(3) जो कर्मचारी इस संशोधन के लागू होने के समय पहले से ही बोर्ड की सेवाओं में हों, वे उपरोक्त जानकारी (डिस्क्लोज़र) इस संबंध में बताई गई समय-सीमाओं के भीतर दे सकेंगे।

(4) परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के ब्यौरों में जब-जब कोई बदलाव होता है, जब-जब कोई अचल संपत्ति किराये पर दी जाती है अथवा जब-जब कोई अचल संपत्ति खरीदी जाती है, बेची जाती है, उपहार के तौर दी जाती है या मिलती है या फिर वारिस होने के नाते मिलती है, तब-तब कर्मचारी को इसकी जानकारी वह महीना समाप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर ओ.ई.सी. को देनी होगी, जिस महीने में ऐसा कुछ भी हो।

(5) जब तक कर्मचारी बोर्ड में अपनी सेवाएँ दे, उस दौरान वित्तीय क्षेत्र से जुड़े असेट्स में अगर कर्मचारी कोई लेनदेन (ट्राजेक्शन) करे और या फिर कर्मचारी के परिवार के सदस्य कर्मचारी से पैसे लेकर उनमें कोई लेनदेन (ट्रांजेक्शन) करें, या फिर जिनमें कर्मचारी का कोई हित हो, और अगर उस लेनदेन (ट्रांजेक्शन) का मूल्य कर्मचारी के मासिक मूल वेतन की दुगुनी रकम से ज्यादा हो, तो ऐसे में उस कर्मचारी को ऐसे हर लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की जानकारी जिस महीने वह लेनदेन हुआ हो वह महीना समाप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर ओ.ई.सी. को देनी होगी।

(6) जब तक कर्मचारी बोर्ड में अपनी सेवाएँ दे, उस दौरान अगर कोई व्यक्ति उसके परिवार का सदस्य बन जाए, तो ऐसे में कर्मचारी को इसकी जानकारी [जिसका जिक्र उप-विनियम (1) में किया गया है] वह महीना समाप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर देनी होगी, जिस महीने में ऐसा कोई बदलाव हो।

(7) उप-विनियम (1) के अनुसार दी जाने वाली जानकारी (किए जाने वाले डिस्क्लोज़र) कर्मचारियों को पिछले वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन तक की स्थिति के अनुसार बताई गई समय-सीमाओं के भीतर देनी होगी ।

(8) ग्रेड "एफ" के ओहदे के कर्मचारियों और कार्यपालक निदेशकों द्वारा दिए गए अचल संपत्तियों के ब्यौरे ओ.ई.सी. द्वारा उसी तरह से सार्वजनिक किए जाएंगे, जैसा समय-समय पर बताया जाए ।"

VIII. विनियम 66 के बाद और विनियम 67 से पहले, निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"**खुद को संबंधित मामले से अलग रखना**

66क. (1) कर्मचारी ऐसे किसी मामले से खुद को अलग रखेगा जो खासकर ऐसे किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, जिससे हितों के टकराव का मामला बनने की कोई गुंजाइश हो ।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के सिलसिले में, 'व्यक्ति' में कोई एंटिटी या कोई अकेला व्यक्ति भी शामिल है ।

(2) खुद को संबंधित मामले से अलग रखने का अर्थ है –

(i) जब उस व्यक्ति से जुड़े मामले के संबंध में चर्चा की जानी हो या निर्णय लिया जाना हो, उस समय मौजूद न रहना;
(ii) उस मामले से जुड़ी जानकारी न पाना (उस तक एक्सेस न रखना);
(iii) उस मामले के संबंध में होने वाली चर्चा में हिस्सा न लेना; और
(iv) किसी दूसरे तरीके से खुद को अलग रखना, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए ।

(3) यह तब माना जाएगा कि किसी व्यक्ति से जुड़ा कोई मामला कर्मचारी के सिलसिले में हितों के टकराव का मामला बन सकता है, जब –

(i) वह मामला ऐसे किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, जिसके यहाँ कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार या तो प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (की मैनेजेरियल पर्सन) के तौर पर कार्यरत हो या फिर उसके वरिष्ठ प्रबंध-मंडल में शामिल हो;
(ii) वह मामला कर्मचारी के पेशे से जुड़े किसी हित या रिश्तेदारी की वजह से किसी हित से जुड़ा हो, और जिसकी वजह से उस मामले के सिलसिले में किसी भी तरह का पक्षपात होने की कोई गुंजाइश हो;
(iii) वह मामला ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, जो कोई करीबी दोस्त हो या सहयोगी हो या फिर पिछले तीन वर्षों के दौरान करीबी दोस्त या सहयोगी रहा हो, और जिसकी वजह से उस मामले के सिलसिले में किसी भी तरह का पक्षपात होने की कोई गुंजाइश हो;
(iv) कर्मचारी ने उस व्यक्ति में जितना निवेश किया हुआ हो, उसके हिसाब से कर्मचारी का उस मामले से काफी हित जुड़ा हुआ हो; या

(v) कर्मचारी ने सेबी के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आने वाली किसी एंटिटी (जो पेशेवर के तौर पर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का संचालन कर रही हो) द्वारा लाए गए प्रोडक्ट्स में निवेश किया हुआ हो, और जितनी रकम का निवेश किया हुआ हो वह रकम विनियम 64(2) में बताई गई 25% की सीमा से ज्यादा हो। हितों में टकराव की गुंजाइश तब तक मानी जाएगी, जब तक उस एंटिटी के प्रोडक्ट्स में किया गया निवेश 25% की सीमा से नीचे न आ जाए।

(4) किसी कर्मचारी के बारे में ऐसा तभी माना जाएगा कि उसका किसी व्यक्ति से काफी हित जुड़ा हुआ है, यदि –

(i) उसने और उसके परिवार के सदस्य ने मिलकर उस व्यक्ति में रु.20 लाख (निवेश करते समय कुल-मिलाकर जो रकम अदा की गई, उसके हिसाब से) से ज्यादा का ऐसा निवेश किया हुआ हो, जो 'निषिद्ध निवेश' की श्रेणी में आता हो; या

(ii) उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर उस व्यक्ति में ऐसा निवेश किया हुआ हो जो 'निषिद्ध निवेश' की श्रेणी में आता हो और इस प्रकार किए गए निवेश की रकम, ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन तक या उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख तक (इनमें से जो भी बाद में हो), उस रकम के 5% से ज्यादा हो जो उसने वित्तीय क्षेत्र से जुड़े असेट्स में अपने समस्त निवेश करने के सिलसिले में अदा की हो।

(5) शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जो मामला एंटिटियों के पूरे वर्ग से जुड़ा हुआ हो या फिर सामान्य प्रक्रिया के तहत उनके लिए विनियम (रेग्यूलेशन) बनाए जा रहे हों, तो ऐसे मामले 'हितों के टकराव' वाले मामलों के दायरे में नहीं आएंगे।

(6) अगर ऐसी कोई शंका हो कि हितों के टकराव का कोई मामला बनता है, तो ऐसे में वह मामला ओ.ई.सी. को या ऐसे किसी दूसरे किसी प्राधिकारी (यथा निर्धारित) को भिजवाया जा सकता है।

(7) जब भी कर्मचारी को ऐसा लगे कि हितों के टकराव का कोई मामला बनने की गुंजाइश है, तो उसकी जानकारी वह जल्द से जल्द देगा।

(8) हितों के टकराव के मामलों की गुंजाइश बनने की स्थिति में डिस्क्लोज़र (जानकारी) का रिकॉर्ड रखने के लिए एक डिजिटल व्यवस्था निर्धारित की जाएगी, और साथ ही जहाँ कहीं भी किसी कर्मचारी को ऐसा लगे कि उसे खुद को संबंधित मामलों से अलग रखना है तो इसके लिए भी एक व्यवस्था निर्धारित की जाएगी और उन मामलों में अपेक्षानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।"

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./207/2026-27]

टिप्पणी :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, [का.आ. सं. 857(अ)] 6 सितम्बर, 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 8 सितम्बर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2025 (अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/263) द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th July, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (EMPLOYEES' SERVICE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/311.— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001—

I. In regulation 3(1),

i. clause (f) shall be substituted with following, namely-

"(f) "Dependent" includes:

(i) "Dependent children" which means children of an employee who are eligible for receiving medical or Leave Fare Concession benefit from SEBI;

(ii) "Substantially dependent" which means a person who is included in family of the employee for receiving medical or Leave Fare Concession benefit from SEBI.

Explanation: For the purpose of this definition, a person who is otherwise not dependent on the employee but is added in the Group Mediclaim Policy of SEBI as a non-dependent for which the premium is borne separately by the employee shall not be considered as 'substantially dependent'."

ii. clause (h) shall be substituted with following, namely-

"(h) "family members" means

(i) Spouse of the employee;

(ii) Dependent children of the employee, including Step children and Adopted children;

(iii) Any person for whom the employee serves as legal guardian and substantially dependent on such employee; and

(iv) Any other person related to by blood or marriage to the employee or his spouse, and substantially dependent on such employee."

iii. after clause (h), the following new clause shall be inserted, namely-

"(ha) "Financial investment" means investment or deposit in any financial assets."

iv. after clause (i), the following new clauses shall be inserted, namely -

"(ia) "Non-permitted Investment" means investment that is not permitted to be made by an employee during his period of service with the Board and shall mean the following: –

(i) Investment in equity;

(ii) Investment in any instrument convertible into equity; and

(iii) Investment or trading in derivatives of equity or commodity.

Explanation: It is clarified that the following investment shall not be included within the definition of non-permitted investment, namely: –

(i) Investment through a pooled investment vehicle, if the scheme of such pooled investment vehicle is professionally managed by an entity which is regulated by any of the financial sector regulator; and

(ii) Investment in units of InVIT and REIT;

(ib) "OEC" means Office of Ethics and Compliance in SEBI."

v. after clause (j), the following new clause shall be inserted, namely –

"(ja) "Permitted investment" means any financial investment which is not a non-permitted investment."

vi. after clause (k), the following new clauses shall be inserted, namely -

"(ka) "Professional interest" means any interest on account of employment or engagement as advisor or consultant during the last three years with an entity not being employment or engagement with the Central Government, State Government, Government or Statutory Organization.

(kb) "Relational interest" means any interest on account of association as family member or relative.

(kc) "Relative" means relative as defined under section 2(77) of the Companies Act 2013."

II. In regulation 54, the existing regulation shall be read as sub-regulation (1) of regulation 54 and after the sub-regulation so re-numbered, the following new sub-regulation shall be inserted, namely-

"(2) An employee shall disclose all negotiation or agreement for any future employment within one month from the end of the month in which such negotiation or agreement takes place."

III. In regulation 55, after regulation 55(5), the following new sub-regulation shall be inserted, namely –

"(6) An employee leaving the service on account of retirement or resignation or otherwise shall not appear before or against the Board on behalf of any other person in any matter or quasi-judicial proceeding (including adjudication) or settlement or approval matter for a period of two years from the date of being relieved from service."

IV. In regulation 62,

i. in sub-regulation (1),

a. after the words "Trivial gifts like", the words and symbols "mementos, souvenirs, bouquets," shall be inserted;

b. the words "on the occasion of Diwali and New Year" shall be deleted.

c. the word "near" appearing in the Explanation shall be deleted.

ii. In sub-regulation (2),

a. after the words "the value of such gifts", the words "received from any one person" shall be inserted;

b. the word and symbols "Rs. 10,000" shall be substituted with the word and symbols "Rs. 50,000".

V. Regulation 64 shall be substituted with the following, namely-

"**Restrictions on investments**

64. (1) An employee or his family members shall not make any fresh investment in non-permitted investment, during the period of service of the employee with the Board.

(2) Investment by an employee during the period of service with the Board, in products offered by any one SEBI-regulated entity, which is professionally managing pooled investment

vehicle, shall not exceed 25% of his total acquisition cost of all the financial investments held by him as on last day of the previous financial year or on the date of joining, whichever is later."

VI. After regulation 64 and before regulation 65, the following new regulations shall be inserted, namely-

"**Relaxation from restriction on investment by family during the period of service of the employee**

64A. (1) Restriction in sub-regulation (1) of regulation 64 shall not be applicable where the spouse of the employee acquires equity in employee stock options plan which is part of the pay package of the spouse and to also disposal of such equity.

Explanation: In case of technical violations arising out of actions of spouse and/or dependent family members, such an inadvertent action shall not be treated as misconduct by the employee affecting his career progression. However, in appropriate cases, penalty imposed may be in the nature of monetary penalty.

(2) Restriction in sub-regulation (1) of regulation 64 shall not be applicable where the family members of the employee-

(i) use discretionary portfolio management services where the fund manager acts independently to manage the investments; or

(ii) acquire or dispose unlisted security as part of the private business or investment activity of such family member.

(3) Upon listing of unlisted security referred to in sub-regulation 2(ii) of this regulation, family members of the employee may continue to hold them or dispose them or manage them through discretionary portfolio management services (where the fund manager acts independently).

Options for the employee to deal with non-permitted investment held at the time of joining

64B. (1) At the time of joining the Board, the employee may choose any of the followings option(s) with respect to non-permitted investment held by him, namely: -

(i) Liquidate the non-permitted investment;

(ii) Freeze the non-permitted investment till the time of completion of his period of service with the Board;

(iii) Disclose a trading plan to OEC for selling of these non-permitted investment during his period of service in accordance with Regulation 5 of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; or

(iv) Sell the non-permitted investment during his period of service with the Board without a trading plan but with prior approval of the OEC.

(2) With respect to investment in equity or instrument convertible into equity, of a commercial venture (including unlisted companies) of the employee, he shall only have to choose from option (i) or (ii) of sub-regulation (1).

(3) If non-permitted investments are not liquidated at the time of joining, -

(i) the employee shall not be allowed to exercise voting rights in respect of those equity during the period of service with the Board; and

(ii) receipt of equity on account of corporate action or subscription to rights issue with respect to such equity shall not be prohibited during the period of service with the Board.

(4) If an employee opts for trading plan, he must adhere to that trading plan and deviation could only be with the prior approval.

(5) The prior approval required under this regulation shall be obtained from the OEC.

(6) Vested option with respect to equity may be exercised by an employee before joining the Board and shall not be allowed to be exercised during the period of service with the Board.

(7) For the employees who were already in the service of the Board at the time of coming into force of this amendment, options with respect to non-permitted investments, as detailed out above, shall be exercised within the timeline as may be specified.

(8) Family members of the employee are allowed to hold the non-permitted investment held by them at the time of the employee joining the services of the Board; and are also allowed to dispose them during the period of service of the employee with the Board."

VII. Regulation 66 shall be substituted with the following, namely, -

"**Disclosure of interests**

66. (1) An employee shall make following disclosures (in the format as determined by the competent authority), namely -

(i) details of his family members;

(ii) details of his relatives;

(iii) details of professional interests during the last three years;

(iv) details of immovable properties held by him and by his family members acquired out of the money received from the employee or in which the employee has an interest;

(v) details of financial investments and liabilities pertaining to him and to his family members acquired out of the money received from the employee or in which the employee has an interest;

(vi) details of non-permitted investments held by family members of employees other than such investments acquired out of money received from the employee or in which the employee has an interest; and

(vii) details of contract of renting out of immovable properties by him.

(2) The disclosures listed at sub-regulation (1) shall be made by the employee to OEC at the time of his joining the services of the Board as well as at the time of exit from the services.

(3) For the employees who were in the services of the Board at the time of coming into force of this amendment, disclosure may be done within the timeline as may be specified.

(4) Every change in details of family members or relatives, contract of renting out or transactions in immovable property (purchase, sale, gift, inheritance) shall be disclosed by the employee to the OEC within one month from the end of the month in which such change takes place.

(5) An employee shall disclose every transaction in financial asset made by him and by his family members acquired out of the money received from the employee or in which the employee has an interest, during his period of service with the Board, to the OEC, if the value of such transaction is more than two times of his monthly basic pay, within one month from the end of the month in which such transaction takes place.

(6) An employee shall disclose details as required under sub-regulation (1) with respect to any person becoming his family member, during his period of service, within one month from the end of the month in which such change takes place.

(7) Employees shall file disclosures listed at sub-regulation (1) as on the last day of the previous financial year within the timeline as may be specified.

(8) Details of immovable properties disclosed by the employees in Grade F and Executive Directors, shall be made public by the OEC in such manner as may be prescribed from time to time."

VIII. After regulation 66 and before regulation 67, the following new regulation shall be inserted, namely-

"**Recusal**

66A. (1) An employee shall recuse himself from a matter specifically relating to a person which falls within the scope of conflicted relationship.

Explanation: For the purpose of this regulation, the term 'person' includes an entity or an individual.

(2) Recusal shall mean all of the following -

(i) not present when the matter relating to such person comes up for discussion or decision;

(ii) not having access to information relating to that matter;

(iii) not participating in discussion relating to that matter; and

(iv) any other manner as may be determined by the competent authority.

(3) Matter relating to a person would fall within the scope of conflicted relationship of an employee, if -

(i) the matter is of a person in which any of the family member or relative of the employee is employed as key managerial person or in Senior Management;

(ii) the matter involves any of the professional interest or relational interest of the employee which may give rise to bias or perceived bias in handling such matter;

(iii) the matter involves a person who is or has been a close friend or close associate during the last three years and is likely to give rise to bias or perceived bias in handling such matter;

(iv) the employee has material interest in the matter in terms of investment made by him in that person; or

(v) the employee has investment in products offered by a SEBI regulated entity which is professionally managing pooled investment vehicle and the investment is beyond the threshold of 25% prescribed in regulation 64(2), till the time the investment with that entity falls below the threshold of 25%.

(4) An employee shall have material interest in a person if-

(i) he and his family member together have made non-permitted investment of more than Rs. 20 Lakh (in terms of acquisition cost) in that person; or

(ii) his and his family members' non-permitted investment together in that person is more than 5% of total acquisition cost of all the financial investments held by him as on the last day of the immediate previous financial year, or on the date of joining, whichever is later.

(5) For the removal of doubt it is clarified that a matter involving a class of entities or making generic regulations shall not come within the scope of conflicted relationship.

(6) Whenever there is a doubt whether a matter involves conflicted relationship, the issue may be referred to OEC or any other authority as may be specified.

(7) An employee shall disclose conflicted relationship at the earliest possible opportunity.

(8) A digital system and recusal framework shall be put in place to record disclosure of conflicted relationship as well as to record and process recusals.”

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./207/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) Regulations, 2001, were published in the Gazette of India on 6th September, 2001 vide S.O. No. 857(E) and were last amended on September 08, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/263.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.11 12:03:52 +05'30'